

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
आरा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत
जगदीशपुर

पटना, दिनांक-26/9/18

विषय:- नगर पंचायत, जगदीशपुर (भोजपुर) अन्तर्गत सम्राट अशोक भवन के निर्माण कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर (भोजपुर) का पत्रांक-979 दिनांक-08.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से समर्पित विषयांकित कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ एवं अनुमोदित परिमाण विपत्र की एक प्रति अग्रत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (₹ में)
01.	नगर पंचायत, जगदीशपुर (भोजपुर) अन्तर्गत सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	135.26 (सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-113 दिनांक-13.02.2018)	129.28274	1,28,14,203

निम्न शर्तों के साथ तकनीकी स्वीकृति दी जा रही है:-

- कार्य प्रारंभ के पूर्व प्रस्तावित भवन के मिट्टी भार वहन क्षमता ज्ञात करेंगे तथा निरूपण नक्शे के मिट्टी भार वहन क्षमता से मिलान कर लेंगे। यदि भिन्नता आती है तो इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
- प्रस्तावित भवन का Earthquake Resistant बनाने के लिए Ductile Detailing कर ही कार्य करायेंगे।
- भवन एवं पथ का निविदा एक साथ आमंत्रित करेंगे।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(Signature)
26/9/18


अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- नगर पंचायत, जगदीशपुर (भोजपुर) अन्तर्गत सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य ।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 1,35,26,000/- (एक करोड़ पैंतीस लाख छब्बीस हजार) रुपये मात्र सरकार के विशेष सचिव, न0वि0 एवं आ0वि0 का पत्रांक-135 दिनांक-14.02.2015 से प्राप्त ।
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 1,29,28,274/- (एक करोड़ उन्तीस लाख अठ्ठाईस हजार दो सौ चौहत्तर) रुपये मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें। कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्रियों की आपूर्ति ISI के Specification का होना चाहिए।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) भवन के कॉलम, बीम, स्लैब, स्टैयर आदि का निरूपण कराकर ही कार्य करायेंगे। साथ ही साथ भवन के सभी मदों में यथा बीम, स्लैब, स्टैयर, लीटल एवं कॉलम में M-25 का ही उपयोग करेंगे।
(vii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(viii) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xi) गैर अनुसूचित मद के कार्यों का कोटेशन आमंत्रित कर दर का अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करा लेंगे।
(xii) विभिन्न मदों में प्रयुक्त होने वाले (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।
(xiii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।


26/9/18

अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।